बैजनाथ

बनाम

उत्तरप्रदेश राज्य

दाण्डिक अपील संख्या 1050/2008

10 जुलाई, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम्, जे.जे.)

दण्ड संहिता 1860-धारा 304 (भाग-1) दोषसिद्धि असली चचेरे भाईयों के मध्य भूमि विवाद-एक चचेरे भाई द्वारा दूसरे के सिर पर लाठी चलाई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई-निचली अदालत द्वारा धारा 304 (भाग-1) के तहत सात वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया-अभिनिर्धारित किया-न्यायोचित-कारित की गई चोट की प्रकृति एवं इस्तेमाल किया गया हथियार अभियुक्त के अपराध को दर्शाता है-पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक की राय के अनुसार मृत्यु का कारण सिर पर आई चोट के परिणामस्वरूप कोमा में होना था।

अभियोजन के मामले के अनुसार, दो भाईयों के परिवार के मध्य भूमि का विवाद था-अपीलार्थी एवं पंचायत को विवाद को निपटाने हेतु बुलाया गया। अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया कि विवादित भूमि उसकी है। ''के'' द्वारा प्रतिदावा लाया गया। अपीलार्थी द्वारा ''के'' के सिर पर लाठी चलाई, जिसके कारण उसके सिर में चोट लगी एवं वह गिर गया। अभियुक्त अपने घर के अंदर भागा। ''के'' की मृत्यु चोट के कारण हो गई। इस घटना को पंचायत के सदस्यों ने देखा गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। अनुसंधान किया गया । चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम परीक्षण किया गया। अभियुक्त की निशानदेही से लाठी बरामद की गई। अपीलार्थी को विचारण न्यायालय द्वारा धारा 304 (भाग-1) भा.द.सं. के तहत दोषसिद्ध किया एवं 7 वर्ष के कारावास से दण्डित

किया। उच्च न्यायालय द्वारा आदेश को बरकरार रखा गया। जिस पर हस्तगत अपील पेश की गई।

न्यायालय द्वारा अपील को खारिज की गई ।

अभिनिर्धारित किया गया: चिकित्सक की साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शित करती है कि पैराइटल तथा फ्रंटल दोनों हड्डियों में फ्रेक्चर था। उनके द्वारा राय दी गई कि मृत्यु का कारण चोट के परिणामस्वरूप कोमा था।

अपीलार्थी के अनुसार चिकित्सक द्वारा यह स्वीकार किया गया कि प्रश्नगत चोट जमीन में धंसी हुई लोहे की छड पर गिरने के कारण हो सकती है। साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह स्थापित होता है कि अभियुक्त द्वारा मृतक के सिर पर लाठी चलाई, जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा कि मामला स्पष्ट रूप से धारा 304 (भाग-1) भा.द.सं. के तहत ही आता है । चोट की प्रकृति तथा इस्तेमाल किया गया हथियार स्पष्ट रूप से अभियुक्त का अपराध दर्शित करता है। ऐसा होने पर, लगाई गई 7 साल के कैद की सजा किसी दुर्बलता से ग्रसित नहीं है ।

(पैरा 7) (639-डी, ई, एफ)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 2008 का 1050

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनउ पीठ के आपराधिक अपील संख्या 1995 का 385 में अन्तिम निर्णय और आदेश से।

प्रमोद कुमार यादव, सत्यप्रकाश शर्मा एवं रामेश्वर प्रसाद गोयल अपीलार्थी की ओर से।

प्रत्यर्थी की ओर से रत्नाकर दास, मनोज कुमार द्विवेदी एवं जी, वेंकटेश्वर राव।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था।

डॉ. अरिजीत पसायत, जे.

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. हस्तगत अपील में, अपीलार्थी की दोषसिद्धि अन्तर्गत धारा 304 भाग-1, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (संक्षेप में भा.द.सं.) तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश 7 वर्ष के कारावास को एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ द्वारा पुष्टि किये गये आदेश को चुनौती दी गई।

3. संक्षेप में प्रकरण की पृष्ठभूमि के तथ्य निम्न प्रकार है:

अभियुक्त अपीलार्थी बैजनाथ तथा मृतक कालिका प्रसाद सगे चचेरे भाई थे। अभियुक्त का पिता बेचेलाल तथा कालिका (जिसे इसके बाद 'मृतक' के रूप में संदर्भित किया गया है), के पिता खरगी जो सूचनाकर्ता था, सगे भाई थे तथा बगल के दो मकानों में अलग अलग रहते थे। दोनों परिवारों के मध्य नाबदान तथा खूँटा (पेग) जो मवेशियों को बांधने के लिये इस्तेमाल किया जाता था, लगाने को लेकर कुछ विवाद था। घटना की तारीख अर्थात 13.7.1993 शाम को लगभग 7 बजे दोनों परिवारों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिये पंचायत हुई। ग्राम प्रधान एवं कई अन्य लोग भी पंचायत में मौजूद थे। अभियुक्त तथा मृतक की ओर से आरोप प्रत्यारोप लगाये गये। जबकि आरोपी बैज नाथा द्वारा घोषित किया गया कि जमीन उसकी थी तथा प्रत्यारोप करने वाले मृतक को नहीं दी जावेगी।

अभियुक्त बैजनाथ ने मृतक काली प्रसाद के सिर पर लाठी चलाई तथा उक्त लाठी के प्रहार से उसके सिर पर चोट आई तथा वह गिर गया। अभियुक्त बैंजनाथ अपने घर के अंदर भागा। खरगी, जो मृतक का पिता था, ने गाँव के अन्य लोगों के साथ उसके पुत्र काली प्रसाद को पुलिस स्टेशन लेकर गया, लेकिन पुलिस स्टेशन ले जाते समय रास्ते में काली प्रसाद ने दम तोड दिया। इस पर शव को पुलिस स्टेशन ले जाया गया

तथा लिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-1 पुलिस थाने में दर्ज की गई। गंगा प्रसाद नामक व्यक्ति ने यह रिपोर्ट लिखी थी। गंगा प्रसाद, ठाकुर प्रसाद, ब्रजेश और कई लोग जो पंचायत में मौजूद थे, ने घटना को देखा था। इस आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-12 तैयार की गई और अभियुक्त के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया, जो कि वर्तमान में अपीलार्थी है। अनुसंधान एस.ओ राजिन्दर सिंह (पी.डब्ल्यू.5) के सुपुर्द किया गया। एस.आई एस.एम तिवारी का शव की जाँच करने हेतु निर्देश दिया गया। जाँच रिपोर्ट प्रदर्श क है। शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया, जो डॉ. ललित कुमार (पी.डब्ल्यू.6) द्वारा किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-10 है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा नक्शा मौका बनाया, जो प्रदर्श क-6 है तथा अभियुक्त की निशानदेही से लाठी भी बरामद की गई, जो प्रदर्श-1 है। फर्द बरामदेगी प्रदर्श ए-7 भी तैयार की गई। बाद अनुसंधान आरोप पत्र प्रदर्श क-9 अन्तर्गत धारा 302 भा.द.सं. अभियुक्त के विरूद्ध पेश किया गया।

अभियुक्त के विरूद्ध धारा 302 भा.द.सं. का आरोप तय किया गया।

3. विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, चश्मदीद गवाहों की साक्ष्य को देखते हुए माना कि धारा 304 भाग-1 भा.द.सं. के तहत दोषसिद्धि उचित थी। उच्च न्यायालय के समक्ष दोषसिद्धि तथा दण्डादेश को चुनौती दी गई, जिसका उक्त आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा यह कथन किया गया कि उचित दोषसिद्धि भा.द.सं. की धारा 325 के संदर्भ में होगी, न कि धारा 304 भाग-1 भा.द.सं. में।

5. विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा राज्य द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गयी, का समर्थन किया।

6. हम यह पाते है कि डॉ. ललित कुमार (पी.डब्ल्यू-6) जिन्होने मृतक के शव

की पोस्टमार्टम हेतु जाँच की, द्वारा मृत्यु से पूर्व की निम्न चोटे पायी:

''कुचला हुआ घाव 1 से.मी x 0.5 से.मी. दाहिनी ओर की खोपडी के अंदर की ओर, सामने की तरफ मांसपेशियों तक गहरा घाव.''

7. डॉक्टर की साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि दोनों पैराइटल तथा फ्रंन्टल हड्डी में अस्थिभंग था। उसके द्वारा राय दी गयी कि मृत्यु का कारण सिर में चोट के परिणामस्वरूप कोमा था। अपीलार्थी के अनुसार डॉक्टर द्वारा स्वीकार किया गया कि प्रश्नगत चोट जमीन में धंसी लोहे की रॉड पर गिरने से आ सकती है। साक्ष्य से स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि अभियुक्त द्वारा मृतक के सिर पर लाठी चलाई, जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई। जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा सही कहा गया कि चोट की प्रकृति, इस्तेमाल किया गया हथियार अभियुक्त के अपराध को दर्शित करता है तथा मामला स्पष्ट रूप से धारा 304 भाग-1 भा.द.सं. में आता है। ऐसा होने पर, लगाया गया 7 वर्ष का कारावास किसी प्रकार की दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है।

8. अपील खारिज की जाती है।

अपील खारिज

एन.जे.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कुमकुम सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।